ए.

हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और ओआरएस बनाम

श्री दीपाक अग्रवाल और ओआरएस।

(2018 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 16631-16632) 28 जुलाई, 2022

बी.

[ए**.** एम**.** खानविलकर**,** अभय एस**.** ओका और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -धारा 24 (1)-"आरंभ"-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 -एस. 4-एस. में "आरंभ" का अर्थ और व्याख्या।24(1) एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के संदर्भ में 2013 अधिनियम -एस की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए।24 2013 के अधिनियम की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर एल. ए. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई मानी जाएगी।4 एल. ए. अधिनियम-इसके अलावा, जब धाराओं की उप-धारा (1) का खंड (ए)।24 2013 अधिनियम लागू है, एल. ए. अधिनियम के अनुसार कार्यवाही जारी रहेगी-हालांकि, केवल मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए, 2013 अधिनियम के प्रावधान लागू किए जाएंगे-क़ानूनों की व्याख्या-उद्देश्यपूर्ण निर्माण।

सी.

डी.

ई.

योग्यता के आधार पर निपटारे के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष अपीलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** धारा **24** के अवलोकन से पता चलता है कि एल**.** ए**.** अधिनियम की धारा **11** के तहत एक पुरस्कार का पारित होना भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के जारी रहने के तरीके और प्रकृति को तय करने में प्रमुख कारक है।धारा **24 (1) (**ए**)** की जांच से पता चलेगा कि यदि एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी**,** लेकिन इसकी धारा **11** के तहत कोई निर्णय पारित नहीं किया गया था**,** तो "मुआवजे के निर्धारण" से संबंधित **2013** अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।उसी समय**,** यदि एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू होने पर**,** एल**.** ए**.** अधिनियम की धारा **11** के तहत एक पुरस्कार पारित किया गया था**,** तो ऐसी कार्यवाही एल**.** ए**.** अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही जारी रहेगी**,** जैसे कि उसे निरस्त नहीं किया गया था।**[**पैरा **8] [1093-**सी**-**ई**]** ए

एफ.

जी.

एच.

1079

1080 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस. सी. आर.

1.2 2013 के अधिनियम को लाने के पीछे विधायी इरादा समय पर और पारदर्शी तरीके से औद्योगीकरण**,** बुनियादी ढांचे और शहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत अधिनियम बनाना था और साथ ही**,** प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास तंत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए न्यायसंगत और उचित मुआवजे का प्रावधान करना था।'आरंभ' शब्द का अर्थ उचित और न्यायपूर्ण मुआवजा प्रदान करने और औद्योगीकरण**,** बुनियादी ढांचे और शहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों को लागू करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए।भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की 'शुरुआत' और एल**.** ए**.** अधिनियम की धारा **11** के तहत एक पुरस्कार में इसकी परिणति और इस तरह के पुरस्कार में गैर**-**गणना का प्रभाव पहले ही संदर्भित किया जा चुका है।'आरंभ' शब्द के उचित और उद्देश्यपूर्ण निर्माण के लिए**,** प्रासंगिक स्थिति में **2013** के अधिनियम की धारा **24** के विधायी इतिहास पर भी गौर करना अनुचित नहीं होगा**,** जैसा कि एच**.** एस**.** आई**.** आई**.** डी**.** सी**./**राज्य**/**समिति दिनांक **11.04.2022** की ओर से दायर लिखित प्रस्तुति में समझाया गया है।हालाँकि**,** इसे विस्तार से संदर्भित करना या उससे निपटना आवश्यक नहीं माना जाता है।संक्षेप में**,** इसमें यह कहा गया है कि धारा **24** के प्रारूपण से पहले हुई घटनाएं**,** जैसा कि आज क़ानून की पुस्तक में मौजूद है**,** विधायिका द्वारा **2013** के अधिनियम में धारा **24** को तैयार करने में विधायी इरादे को स्पष्ट करने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक है।इसके अलावा**,** इसमें कहा गया है कि विधायिका इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत थी कि एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि का उपयोग पहले से ही कई सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था और विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए और एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में अधिग्रहण की कार्यवाही**,** विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बड़ी संख्या में सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित**,** विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं।इसलिए**,** हर चीज की चूक सार्वजनिक हित के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगी और साथ ही**,** भूमि धारकों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा।इस तरह के सभी प्रासंगिक पहलुओं और पक्ष और विपक्ष पर विचार करने से विधायिका को **2013** के अधिनियम में धारा **24 (1) (**ए**)** और उसके खंडों के तहत एक संतुलन प्रावधान के साथ आना पड़ा। इसे पूर्वव्यापीता की सीमा को नियंत्रित करने और भूमि धारकों के अधिकारों के क्षरण को कम करने के लिए एक संतुलन प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था।**[**पारस **22-24] [1098-D-E; 1099-A-C]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य **(1987) 1**

एस**.** सी**.** सी**. 212:[1987] 1** एससीआर **562-**पर निर्भर।

एच.

1081

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल ए

ए.

1.3 संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया था।यह सच है कि यह एक मानवाधिकार के साथ**-**साथ संवैधानिक अधिकार भी है।इसलिए**,** कानून द्वारा अधिकृत प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करके अनिवार्य अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद **300-**ए का उल्लंघन नहीं करेगा।अनुच्छेद **21** में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।इसमें पहले उल्लिखित दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए**,** इस न्यायालय का विचार है कि उन्हें केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब 'आरंभ' शब्द को उस समय के रूप में लिया जाए जब एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत धारा **4 (1)** अधिसूचना जारी की जाती है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।इस तरह के निर्माण में प्रभावित व्यक्तियों की अधिक संख्या शामिल होगी जो मुआवजे के निर्धारण के मामले में **2013** के अधिनियम को लागू करके मुआवजे की अधिक राशि के हकदार हैं।एक आवश्यक अगली कड़ी के रूप में विभिन्न चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई है**,** जिसके संबंध में भूमि का अधिक विस्तार समाप्त होने से संरक्षित रहेगा।इस संदर्भ में**,** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी अपीलों में सभी पक्ष एक साथ इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि **2013** के अधिनियम के आधार पर मुआवजे का निर्धारण अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होगा और मुआवजे के हकदार होंगे।'आरंभ' या 'आरंभ' शब्दों को एल**.** ए**.** अधिनियम और **2013** अधिनियम के तहत भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए**,** इसका अर्थ बताने के लिए शब्दकोष के अर्थ पर गौर करना होगा।उपरोक्त चर्चा के आलोक में और विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए इस

न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि **2013** अधिनियम की धारा **24 (1)** के उद्देश्य के लिए एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने का बिंदु उपयुक्त सरकार के आधिकारिक राजपत्र में धारा **4 (1)** अधिसूचना जारी और प्रकाशित करना है।**[**पारस **26,27] [1100-**बी**,** एफ**-**एच**; 1101-**ए**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

एम**.** पी**.** बनाम राज्य नर्मदा बचाओ आंदोलन **(2011) 7**

एस**.** सी**.** सी**. 239:[2011] 6** एस**.** सी**.** आर**. 443-**निर्भर।

जी.

1.4 एल**.** ए**.** अधिनियम की धारा **4** के अवलोकन से पता चलता है कि धारा **4 (1)** के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना तब जारी की जाती है जब उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है।निर्णय की उक्त औपचारिक अभिव्यक्ति ठोस आकार और रूप लेती है।

एच.

केवल आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन पर।धारा **4 (1)** के तहत अधिसूचना जारी करने और प्रकाशित करने पर ही कोई अधिकारी**,** या तो आम तौर पर या विशेष रूप से उपयुक्त सरकार और उसके कर्मचारियों और कामगारों द्वारा अधिकृत**,** कानूनी रूप से प्रवेश कर सकता है और सर्वेक्षण कर सकता है और उस इलाके में किसी भी भूमि का स्तर ले सकता है। धारा **4 (2)** से पता चलता है कि संबंधित इलाके में किसी भी भूमि के स्तर पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और लेने के अलावा**,** अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को उप**-**मिट्टी में खुदाई करने या खोदने का भी अधिकार है**,** यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने के लिए कि क्या भूमि सभी उद्देश्यों के लिए अनुकूलित है**;** लेने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमाओं और उस पर बनाने के लिए प्रस्तावित कार्य की इच्छित रेखा **(**यदि कोई हो**)** को निर्धारित करने के लिए**;** ऐसे स्तरों**,** सीमाओं और रेखा को चिह्नित करने के लिए निशान लगाकर और खाइयों को काटकर और इसकी उप**-**धारा **(2)** के

तहत उल्लिखित ऐसी अन्य गतिविधियों को चिह्नित करने के लिए।ऐसी परिस्थितियों में, तथ्य यह है कि यह धारा **4 (1)** अधिसूचना जारी करना और प्रकाशित करना है जो अधिकृत अधिकारी और कर्मचारियों को इस तरह के अनुमेय कार्यों और गतिविधियों में प्रवेश करने और करने के लिए सशक्त बनाएगा।**[**पारस **28,29] [1101-**ई**-**जी**; 1102-**ई**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

बाबू बरक्या ठाकुर बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य। एयर

1960 एससी **1203:[1961]** एस**.** सी**.** आर**. 128-**संदर्भित।

ई.

1.5 अब**,** यह न्यायालय शीर्षक वाली अपीलों में शामिल अन्य सामान्य प्रश्नों पर विचार करेगा।वे इस सवाल से संबंधित हैं कि क्या एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत जारी की गई धारा **4** अधिसूचना **01.01.2014 (2013** अधिनियम के प्रारंभ की तारीख**)** से पहले जारी की गई थी या **01.01.2014** के बाद भी जारी रह सकती है और क्या एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत धारा **6** अधिसूचना **01.01.2014** के बाद जारी की जा सकती है।उन प्रश्नों पर विचार करते समय**, 2013** के अधिनियम के उद्देश्यों और विधायी इतिहास को ध्यान में रखना होगा और उसी तरीके से मसौदा तैयार करने में विधायिका की मंशा को भी ध्यान में रखना होगा जिस तरह से यह अब मौजूद है।इस संदर्भ में धारा **24 (1) (**ए**)** से स्पष्ट एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।धारा **24 (1)** और उसके खंड **(**ए**)** का संयुक्त प्रभाव यह है कि यदि एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही **2013** के अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले शुरू की गई थी**,** और यदि यह एल**.** ए**.** अधिनियम की धारा **11** के तहत एक पुरस्कार में समाप्त नहीं हुई थी**,** तो **2013** के अधिनियम के सभी प्रावधानः

एफ.

जी.

एच.

1083

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल ए

क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए ऐसी अधिग्रहण कार्यवाहियों पर लागू होना चाहिए।इस प्रकार**,** यह स्पष्ट है कि एल**.** ए**.** अधिनियम की धारा **11** के संदर्भ में किसी अधिनिर्णय को पारित न करने

के मामले में जहां अधिग्रहण की कार्यवाही **01.01.2014** से पहले शुरू की गई है**,** अकेले मुआवजे के निर्धारण से संबंधित **2013** अधिनियम के तहत सभी प्रावधान ऐसी अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू होंगे।दूसरे शब्दों में**,** इसका अर्थ यह होगा कि ऐसी परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखी जानी चाहिए**,** लेकिन अकेले **2013** के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण से संबंधित सभी प्रावधान ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे**,** जिसका अर्थ है कि **2013** का अधिनियम केवल उसी स्तर पर लागू होगा।इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एल**.** ए**.** अधिनियम की धारा **4 (1)** के तहत नोटिस जारी करके और उसके प्रकाशन द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने और जिस स्तर पर अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है**,** उसके बीच कानून के अनुसार अधिग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।सवाल यह है कि जब **2013** के अधिनियम की धारा **24 (1)** आवश्यक निहितार्थ के साथ यह स्पष्ट करती है कि अकेले मुआवजे के निर्धारण से संबंधित **2013** के अधिनियम के सभी प्रावधान एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत शुरू की गई ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे**,** लेकिन एक पुरस्कार में समाप्त नहीं होंगे**,** तो कार्यवाही के मुआवजे के निर्धारण के चरण तक पहुंचने तक मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्रक्रियाओं को कैसे विनियमित किया जाना है।उस पहलू पर कोई अनिश्चितता नहीं हो सकती।शुरू की जाने वाली प्रक्रियाएँ और उन्हें किस तरीके से विनियमित किया जाना है**,** यह अनिश्चित नहीं रह सकता है।वे या तो एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से या **2013** अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से संचालित किए जाते हैं। लेकिन फिर**,** धारा **24 (1) (**ए**)** को देखते हुए**,** अकेले मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान ऐसी कार्यवाही पर लागू किए जा सकते हैं या दूसरे शब्दों में**,** ऐसी कार्यवाही के संबंध में **2013** अधिनियम के प्रावधानों का केवल एक सीमित अनुप्रयोग है।अपरिहार्य निष्कर्ष केवल यह हो सकता है कि मुआवजे के निर्धारण के चरण तक की अवधि के दौरान शुरू की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं पर जो लागू होता है**,** वह एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत निर्धारित है। **2013** के अधिनियम के प्रतिबंधात्मक अनुप्रयोग को देखते हुए**,** इस तरह के निर्माण के बिना**,** धारा **24 (1) (**ए**)** के तहत प्रावधान काम नहीं करेंगे। विधायी इरादे को लिए बिना उक्त प्रावधान का कोई भी निर्माण**,**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

यहाँ पहले उल्लिखित विधायी इरादे के साथ-साथ **2013** के अधिनियम के उद्देश्यों को भी विफल कर देगा। निश्चित रूप से, यह जनहित में नहीं होगा कि इस तरह की कार्यवाही को समाप्त होने दिया जाए या अधिकारियों को अपनी इच्छा के अनुसार ऐसी अवधि के दौरान प्रक्रियाओं का पालन करने की अनुमति दी जाए।ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए शुरू किए गए अधिग्रहण **2013** के अधिनियम के इरादे और उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए और साथ ही, प्रभावित व्यक्तियों को इस बारे में निश्चित जानकारी होनी चाहिए कि प्रक्रियाएं कैसे संचालित की जाएंगी।पार्टी 'बी' आवश्यकता की ऐसी स्थितियों और प्रावधानों के परिणामी अनुप्रयोग का वर्णन करने में उचित नहीं होगा जो वास्तव में धारा **24** के निर्माण के कारण धारा **24 (1) (**बी**)** में स्पष्ट रूप से नियोजित और धारा **24 (1) (**ए**)** में अनुपस्थित शब्दों को **2013** अधिनियम की धारा **24 (1) (**ए**)** में अप्रत्यक्ष तरीके से लाने के प्रयास के रूप में सहेजे गए हैं। उपरोक्त निष्कर्ष और निष्कर्ष पार्टी 'बी' के तर्कों को बनाएँगे कि **01.01.2014** से पहले जारी की गई धारा **4 (1)** अधिसूचना **01.01.2014** के बाद जीवित नहीं रह सकती है और यह भी कि एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत धारा **6** अधिसूचना **01.01.2014** के बाद जारी नहीं की जा सकती है, जो अस्थिर है।वास्तव में, ऐसी सभी प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं **2013** के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए सभी प्रावधानों को लागू करके मुआवजे के निर्धारण तक जारी रखी जाएंगी। इसके जारी रहने के दौरान ऐसी कार्यवाही के प्रावधानों के प्रतिबंधात्मक अनुप्रयोग को देखते हुए, **2013** के अधिनियम की धारा **24 (1) (**ए**)** के तहत प्रावधानों को अव्यवहारिक बना देगा। **[**पैरा **31,32] [1103-**डी**-**एच**; 1104-**ए**-**एच**; 1105-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

शिव कुमार और अन्र। बनाम भारत संघ और अन्य। **(2019)**

एफ.

10 एस**.** सी**.** सी**. 229-**संदर्भित।

1.6 2013 अधिनियम की धारा **24** की उप-धारा **(1)** के प्रयोजनों के लिए, एल**.** ए**.** अधिनियम के तहत कार्यवाही को एल**.** ए**.** अधिनियम की धारा **4** की उप-धारा **(1)** के तहत एक अधिसूचना के प्रकाशन पर शुरू किया गया माना जाएगा। जब **2013** अधिनियम की

धारा **24** की उप**-**धारा **(1)** का खंड **(**ए**)** लागू होता है**,** तो कार्यवाही एल**.** ए**.** अधिनियम के अनुसार जारी रहेगी। हालांकि**,** केवल मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए**, 2013** अधिनियम के प्रावधान लागू किए जाएंगे।**[**पैरा **34] [1105-**ई**]** ए

जी.

एच.

1085

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल ए

लक्ष्मण लाल (मृत) एल. आर. और ए. एन. आर. के माध्यम से V. राज्य

2003 की राजस्थान सिविल अपील No.6392; अपतटीय

होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बैंगलोर विकास प्राधिकरण (2011) 3 एससीसी 139; महाराष्ट्र विदर्भ सिंचाई विकास निगम।बनाम महेश और अन्य। (2022) 2 एस. सी. सी. 772, चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम।

बी.

आशालता एस. गुरम (1986) 4 एससीसी 447:[1986] एससीआर

866; इंद्रपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड। बनाम।

राजस्थान राज्य (1975) 4 एससीसी 296:[1975] 2 एससीआर

68; वी**.** के**.** एम**.** कट्टा इंडस्ट्रीज **(**पी**)** लिमिटेड बनाम। की स्थिति

हरियाणा (2013) 9 एससीसी 338:[2013] 10 एस. सी. आर. 33; मेसर्स।

फोमेंटो रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड बनाम गुस्तावो रानाटो दा

सी.

क्रूज़ पिंटो और ओआरएस। (1985) 2 एससीसी 152:[1985] 2 एस. सी. आर. 937-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[1986] एससीआर **866**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

डी.

[1975] 2 एससीआर **68**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[2013] 10 एससीआर **33**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[1961] एससीआर **128**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[1985] 2 एससीआर **937**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

ई.

[1987] 1 एससीआर **562**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **21**

[2011] 6 एससीआर **443**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **26**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2018 की विशेष अवकाश याचिका (सी) NOS.16631-16632।

एफ.

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 2 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.08.2017 और 15.09.2017 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

जी.

2018 का एसएलपी (सी) Nos.13883,16585,16569,16612,16628, एसएलपी (सी) डी. सं.32828 2018 का एस. एल. पी. (सी) Nos.26059,2018 का 28961,28941,28959,28949,2019 का 2886,754, एस. एल. पी. (सी) डी. सं.8299 2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 2019 की 9194,14181,15674,13884,16583,16580,16613,16562,16564,16607,16604,18939,16595,16560,16582,16573,16591,16587,16558,16610,16614,16570,16567,22288,18942,16629,2018 की एस. एल. पी. (सी)

एच.

डी. नं.33145 2018 का एसएलपी (सी) Nos.28962,28954,28940,28939,28956,28951,28948,2018 का एसएलपी (सी) डी. 2018 का एसएलपी (सी) डी. 18950,19705,16626,16622,16621,18947,16620,1893,18969,19703,18945,18968,18962,19697,18958,18960,18964,19706,18949,22291,24221,24218,24227,24224,2018 का एसएलपी (सी) <आईडी231330, 31858, 32821 2018 का एसएलपी (सी) No.26058,2018 का एसएलपी (सी) D.nos।33273, 33276 2018 का एसएलपी (सी) No.28946,2018 का एसएलपी (सी) Nos.2881-2883,2019 का एसएलपी (सी) डी. संख्या। 171 2020 का एस. एल. पी. (सी) Nos.18943,18938,18948,24219,18975,16609,18946,23433-23444,1971,222292,222294,22295,22298,233446,23445 2018, एस. एल. पी. (सी) Nos.2880,2988-2990,2884,2877,28788,2887,2879,2888-2890,3775-3778,3782,3780,3788,6496,5149,5148,7496-7498,6729,7469,7505,756,6732,7719289 2019 का एस. एल. पी. (सी) Nos.9176,9189,10002,10604,10003,9196,10995,9202,10063,14490,14551,14533,14466,17439,16415,14556,14594,19500,14271,16423,17933-17934,2019 का 19012,24752,2020 का एस. एल. पी. (सी) No.14253,2019 का एस. एल. पी. (सी) No.22217, एस. एल. पी. (सी) डी. संख्या।10499 2019 का एसएलपी (सी) No.14262,2019 का एसएलपी (सी) डी. नं.21828 2019 का एसएलपी (सी) Nos.23354,2019 का 23357, एसएलपी (सी) डी. सं.22667 2019 का एस. एल. पी. (सी) No.20183,2019 का एस. एल. पी. (सी) D.nos।26930, 26936 2019 का एस. एल. पी. (सी) Nos.24751,2019 का 24754,23704,27500,2020 का एस. एल. पी. (सी) No.15601, एस. एल. पी. (सी) D.nos।

410, 524, 530, 11217, 11218, 11219, 11220, 11221, 11222, 11379, 22557, 23618, 25048 2020 का, 2022 का एसएलपी (सी) No.113

बी.

सी.

डी.

ई.

तुषार मेहता, एस. जी., एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., बी. के. सतीजा, एडिशनल।एजी, अनिल ग्रोवर, आलोक सांगवान, सीनियर एएजी, सौरभ मिश्रा, बी. के. स्टिजा, अजय बंसल, एएजी, मनोज स्वरूप, रंजीत कुमार, श्याम दीवान, श्रीमती दीपिका वी. मारवाह, नरेंद्र हुड्डा, अनिल के. खेर, आशीष चोपड़ा, रामेश्वर सिंह मलिक, नीरज जैन, डी. एन. गोबर्धन, नीरज कुमार जैन, सीनियर अधिवक्तागण , विश्व पाल सिंह, रजत नायर, संजय के. विसेन, मृणाल मजूमदार, सुश्री वंशजा शुक्ला, सुश्री प्रतिभा यादव, प्रफुल्ल सिंह, राहुल कुराना, नवीन गुप्ता, सुरेश कुमार भान, संजय कुमार विसेन, अंकित स्वरूप, नीलमणि पंत, सुश्री विदिशा स्वरूप, राघव भाटिया, सिद्धार्थ बत्रा, सुश्री अर्चना यादव, सुश्री शिवानी चावला, चिनमय दुबे, ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया, अंचित भंडारी, सुदिप्तो सरकार, सुश्री सलोनी भंडारी, के. परी वेंधन, अमीर सिंह पासरिच, करण बहमनी, सुश्री मीरा माथुर, सुश्री श्रद्धा देशमुख।

एफ.

जी.

एच.

1087

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल ए

ओझा, सुश्री स्मिता मान, अमरेंद्र कुमार मेहता, गगन गुप्ता, विनय के. शालिमदिरा, सक्षम माहेश्वरी, सुश्री रौनिका जौहर, सुश्री वर्थिंग कसार, जगजीत सिंह छाबड़ा, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री विशाखा, सुश्री दीपानविता प्रियंका, वैभव मनु श्रीवास्तव, अश्विनी कुमार, रवि भारुका, अंकित अग्रवाल, सिद्धार्थ झा, बी. के. सतीजा, गौरव यादव, सुश्री वीणा बंसल, आर. सी. कौशिक, सुमित कुमार शर्मा, अनुराग कुल्हरिया, अपूर्व यादव, विपुल दहिया, संदीप, डॉ. मोनिका गुसैन, आदित्य सोनी, नासमुज़ाहिर हुसैन, इमामुद्दीन आज़मी, सैयद रेहान, सुश्री सुंदरी, सुश्री काजल कुमारी, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, सुश्री आदिया सिद्दीकी, वेदांत परधन, एम. एल. शर्मा, रजत शर्मा, सुशील के. शर्मा, सुश्री मीनाक्षी शर्मा, सुभाशीष भौमिक, रोहित कुमार सिंह, सैयद हसन इस्फ़हानी, सैयद मोहम्मद।हसन, वी. जयरामन, पायवेज जैदी, राहुल कुमार गुप्ता, सुश्री चांदनी अरोड़ा, शुभम वी. गवांडे, सिद्धार्थ मित्तल, प्रभात कुमार, क्षितिज चुहान, शोएब आलम, डी. एस. परमार, बिजेंद्र एस. चौधरी, हितेश

कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, सुश्री दीपाली हुड्डा, सुश्री आभा आर. शर्मा, दीपक गोयल, डॉ. एम. एस. वर्मा, सुश्री ऋचा वर्मा, महेंद्र कुमार, दीपक बंसल, रजनीश कुमार झा, रमेश लाल भाटिया, दीपेंद्र हुड्डा, सुश्री ज्योति, अतिशी दीपांकर, सुश्री वर्निका तोमर, सुकांत विक्रम, अंशुमा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अभय कुमार, कुमार मिलिंद, शगुन रुहिल, शंकर दिवाते, सुश्री अंजू।के. वर्की, जितेश मलिक, सुश्री अनीशा दहिया, सुश्री बीना, सतीश कुमार, प्रवीण स्वरूप, चंचल कुमार गांगुली, सुश्री गुंजन सिन्हा जैन, रामकृष्ण वीरेंद्र, जी. डी. श्रम, राम नरेश यादव, अमित के. नैन, वीरेंद्र कुमार, वैभव नीति, देवाशीष भरुका, सुश्री माधवी अग्रवाल, रणबीर सिंह यादव, प्रतीक यादव, श्रीमती प्रतिमा यादव, पूरन मल सैनी, सुश्री अंजू के. वर्की, डी. सुब्रमण्यम, पति राज यादव, रितेश पाटिल, कसोजू महेश चारी, सुश्री दिव्या ज्योति सिंह, मोहित कुमार गुप्ता, सुश्री।ज़ाहिद हुसैन, कामरान इकबाल, कॉमरेड इकबाल, सुश्री साहिस्ता असलम, कमल मोहन गुप्ता, प्रवीण बहादुर, सुश्री रूबी आहूजा, आशुतोष पी. शुक्ला, सुश्री के. सचदेवा, अक्षय अग्रवाल, सुश्री गरिमा सिंह, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, गोपाल झा, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, राकेश कुमार यादव, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अनिल मित्तल, विभूति सुशांत गुप्ता, सुश्री अंजलि दुबे, राज सिंह, सूर्यवीर, सुशांत, नितिन मिश्रा, सुश्री निहारिका अहलूवालिया, सुश्री स्नेहा बोटवे, सुश्री स्नेहा कोहली, अंशय धतवालिया, विष्णु मोहन नायर, सुश्री कुमुद निझ

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1089

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल ए

हर्ष पंवार, नीरज शेखर, नासिर अहमद, जाकिर हुसैन, सैयद, एम. एम. हुसैन, सुश्री नसीमा खातून, सुश्री प्रभा मिश्रा, इमरान खान, सुश्री गरिमा प्रसाद, सैयद हसन, वी. जयरामन इस्पाहानी, पी. श्रीनिवासन, सी. सोलोमन, एस. नवगराजन, शारंगौड़ा पाटिल, अमनकांत मिश्रा, सुश्री सुप्रिता शारंगौड़ा, एल. बी. राय, कार्तिक राय, अनीश जैन, निखिल सिंघवी, अभिषेक गुप्ता, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी. टी. रविकुमार जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. मामलों के इस समूह में अतिव्यापी मुद्दे शामिल हैं।विवाद का मुद्दा, जो इन सभी मामलों में सामान्य है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षिप्तता के लिए "2013 अधिनियम") की धारा 24 (1) में प्रयुक्त "आरंभ" शब्द के अर्थ और व्याख्या से संबंधित है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षिप्तता के लिए "एल. ए. अधिनियम") के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के संदर्भ में है।हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम सहित 2018 के एस. एल. पी. (सी) Nos.16631-16632 से उत्पन्न अपीलों में अपीलार्थियों और उनके साथ आने वाली कुछ अन्य अपीलों में अपीलार्थियों या उत्तरदाताओं (जिसे इसके बाद पार्टी 'ए' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के उद्देश्य के लिए, एल. ए. अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी करना और प्रकाशित करना अकेले उसके तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के बराबर होगा।इसके विपरीत, चुनाव लड़ने वाले दल, अर्थात।, उसमें प्रत्यर्थी और अन्य अपीलों में अपीलार्थियों जो इसके विपरीत विचार रखते हैं, (जिसे इसके बाद पार्टी 'बी' के रूप में संदर्भित किया गया है) तर्क देंगे कि यह घोषणा है कि भूमि एल. ए. अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है जो इसके तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के बिंदु को चिह्नित करेगी।संबंधित दलीलों को समर्थन देने के लिए, पक्ष इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा करते हैं।हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते

हैं कि हमारे समक्ष उद्धृत विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय भी इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद को प्रतिबिंबित करेंगे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

कानूनी पृष्ठभूमि

3. जिस कानूनी पृष्ठभूमि से उक्त प्रश्न उत्पन्न होता है, उसे इस प्रकार समाहित किया जा सकता हैः

एच.

एल. ए. अधिनियम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए और कंपनियों के लिए भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक सामान्य कानून था, और अधिग्रहण पर संबंधित संपत्ति के मालिक/धारक को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए था।इस तरह के अधिग्रहण से प्रभावित पक्षों के पुनर्वास और पुनर्वास जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने में एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों की अपर्याप्तता के कारण 2013 अधिनियम लागू किया गया और इसके परिणामस्वरूप एल. ए. अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। तथापि, 2013 अधिनियम की धारा 114 में न केवल निरसन के प्रावधान हैं, बल्कि 2013 अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित तरीके से, दी गई परिस्थितियों में, एल. ए. अधिनियम को उसकी उप-धारा (1) के तहत निरसन के प्रतिकूल प्रभाव से कुछ हद तक बचाने के प्रावधान भी हैं। 2013 के अधिनियम की धारा 114 इस प्रकार हैः

बी.

सी.

" रद्द करें और बचत करें।-

(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, उप-धारा (1) के तहत निरस्तीकरण को

निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा।"

डी.

जब कोई अधिनियम निरस्त किया जाता है, तो आम तौर पर इसके कुछ प्रावधान एक निरसन प्रावधान द्वारा सहेजे जाते हैं।निरस्त अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों का विस्तार और दायरा निरसन अधिनियम के तहत 'निरसन और बचत' प्रावधान पर निर्भर करेगा।

ई.

4. इस प्रकार, 2013 के अधिनियम की धारा 114 की उप-धारा (1) के अनुसार, एल. ए. अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और साथ ही, इसकी उप-धारा (2) में एक बचत खंड भी है।उसकी उप-धारा (2) के अनुसार, उप-धारा (1) के तहत निरस्तीकरण को निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा।इसलिए, बचत खंड के वास्तविक प्रभाव को जानने के लिए एल. ए. अधिनियम के तहत प्रावधानों की व्याख्या के कार्य में प्रवेश करने से पहले सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख करना उचित और लाभदायक है, जो 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) के उद्देश्य और ऐसे प्रावधानों के आगे संचालन की गुंजाइश के लिए सहेजा गया है।

एफ.

जी.

5. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम 10) की धारा 6 निरसन के प्रभाव से संबंधित है।वह इस प्रकार हैः-

" एस. 6 निरसन का प्रभाव।- जहां यह अधिनियम, या कोई [केंद्रीय अधिनियम] या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन, ए को निरस्त करता है

एच.

1091

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

अब तक किया गया या इसके बाद किया जाने वाला कोई अधिनियम, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, निरसन नहीं होगा -

(क) ऐसी किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करें जो उस समय लागू या मौजूद नहीं है जब निरसन प्रभावी होता है; या

((ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम या उसके अधीन विधिवत किए गए या पीड़ित किसी कार्य के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित करेगा; या

बी.

(ग) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है; या

((घ) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में किए गए किसी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है; या

सी.

(ङ) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, जुर्माना, ज़ब्त या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है, और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था।" (जोर जोड़ा गया) 6.उपरोक्त अपीलों में शामिल सामान्य प्रश्नों पर उचित विचार करने के लिए नए 2013 अधिनियम की धारा 24 भी निकाली जानी है।यह इस प्रकार प्रदान करता हैः-

डी.

ई.

"24. 1894 के अधिनियम संख्या 1 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कुछ मामलों में समाप्त माना जाएगा।– (1)

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी मामले में -

एफ.

(क) जहां उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे; या

जी.

(ख) जहां उक्त धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाही उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी, जैसे कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है।

एच.

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में, जहां उक्त धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले किया गया है, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और उपयुक्त सरकार, यदि वह ऐसा चाहती है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करेगीः

बी.

बशर्ते कि जहां अधिनिर्णय दिया गया है और अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

सी.

7. इस मोड़ पर केवल निर्णय का उल्लेख करना उचित है

डी.

महाराष्ट्र विदर्भ सिंचाई विकास निगम में यह न्यायालय।बनाम। महेश और अन्य ने (2022) 2 एस. सी. सी. 772 में रिपोर्ट किया।यह वहाँ आयोजित किया गया था

कि 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के संदर्भ में, 2013 अधिनियम की धारा 114 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 निम्नलिखित कारणों से 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) द्वारा बाधित सीमा तक लागू नहीं होगीः

ई.

(i) 2013 अधिनियम की धारा 114 ने सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 की प्रयोज्यता को स्वीकार करते हुए इसके आवेदन को 2013 अधिनियम में 'अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर' के अधीन कर दिया;

((ii) सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 में ही प्रावधान किया गया है कि सामान्य बचत तब लागू नहीं होगी जब विधायी इरादे विपरीत हों।

एफ.

इस संदर्भ में इस निर्णय का उल्लेख करना भी उचित है।

चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस. गुरम में न्यायालय

(1986) 4 एस. सी. सी. 447 में एक गैर-अस्थाई खंड के प्रभाव की व्याख्या की गई।इस न्यायालय ने कहाः

जी.

“"इस अधिनियम में या अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान में या किसी विशेष अधिनियम में या कुछ समय के लिए लागू किसी कानून में या किसी अनुबंध में कुछ भी निहित होने के बावजूद" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होने वाला खंड अक्सर शुरुआत में किसी धारा के साथ नहीं जोड़ा जाता है ताकि इस धारा का अधिनियमित करने वाला हिस्सा ए में दिया जा सके।

एच.

1093

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

किसी संघर्ष के मामले में अधिनियम के प्रावधान या गैर-अस्थाई खंड में उल्लिखित अनुबंध पर एक प्रबल प्रभाव पड़ता है।यह कहने के समतुल्य है कि अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के बावजूद गैर-अस्थाई खंड या इसके बाद के अधिनियम में उल्लिखित किसी भी अनुबंध या दस्तावेज का पूरा संचालन होगा या गैर-अस्थाई खंड में अपनाए गए प्रावधान अधिनियम के संचालन में बाधा नहीं होंगे।

बी.

(जोर दिया गया) 8.उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, 2013 के अधिनियम की धारा 24 के आधार पर, एल. ए. अधिनियम के तहत प्रावधानों के निरसन के बावजूद, लागू होने की सीमा और दायरे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धारा 24 के अवलोकन से पता चलता है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार का पारित होना भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के जारी रहने के तरीके और प्रकृति को तय करने में प्रमुख कारक है।धारा 24 (1) (ए) की जांच से पता चलेगा कि यदि एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन इसकी धारा 11 के तहत कोई निर्णय पारित नहीं किया गया था, तो "मुआवजे के निर्धारण" से संबंधित 2013 अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।साथ ही, यदि एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने पर, एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार पारित किया गया था, तो ऐसी कार्यवाही एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही जारी रहेगी, जैसे कि उसे निरस्त नहीं किया गया था।9. पार्टी 'बी' जो इस दृष्टिकोण के खिलाफ स्थिति का प्रचार करती है कि धारा 4 (1) के तहत नोटिस जारी करना और प्रकाशित करना दीक्षा का बिंदु है, वह तर्क देगी कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले अधिग्रहित की जाने

वाली भूमि के संबंध में एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 6 की घोषणा जारी नहीं की गई थी।साथ ही, पार्टी 'ए' का तर्क है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही एल. ए. अधिनियम के तहत शुरू की जानी चाहिए जब एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 4 (1) अधिसूचना जारी की गई थी और उपयुक्त सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।जाहिर है, जब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई है और एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार भी पारित किया गया है, तो ऐसी कार्यवाही, उसके बाद, केवल एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रखी जा सकती है, जैसे कि निरस्त नहीं किया गया था।यह उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी विवादों और 2013 अधिनियम की धारा 24 के संदर्भ और उद्देश्य में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की 'शुरुआत' के प्रभाव में है कि

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

धारा 24 (1) के तहत उपयोग किए गए "आरंभ" शब्द का निर्माण आवश्यक हो गया।

10. हम 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के उद्देश्य के लिए एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के प्रश्न पर पक्षों के रुख को पहले ही नोट कर चुके हैं। विवाद को मजबूत करने के लिए पार्टी 'ए' को मुख्य रूप से इंद्रपुरी गृह के फैसलों पर निर्भर रखा गया है।

बी.

निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड। बनाम राजस्थान राज्य **[(1975) 4** एस**.** सी**.** सी**. 296]** और वी**.** के**.** एम**.** कट्टा इंडस्ट्रीज **(**पी**)** लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य

[(2013) 9 एस. सी. सी. 338]उन निर्णयों के आलोक में, वे तर्क देंगे कि एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 4 (1) अधिसूचना जारी किए बिना अधिग्रहण प्रभावी नहीं हो सकता है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि इस तरह की अधिसूचना के बिना, किसी भी अधिकारी के लिए, या तो आम तौर पर या विशेष रूप से उनकी ओर से उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत, और उनके सेवकों और

श्रमिकों के लिए भी यह वैध नहीं होगा कि वे संबंधित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करें और सर्वेक्षण करें और स्तर लें या कानूनी रूप से एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत निर्दिष्ट और अनुमेय ऐसी आगे की कार्रवाई करें। उनकी अनेक दलीलों का योग और सार यह है कि एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए धारा 4 (1) अधिसूचना जारी करना केवल औपचारिकता नहीं है और यह एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने का बिंदु है।

सी.

डी.

11. दूसरी ओर, पार्टी 'बी' का तर्क होगा कि धारा 4 (1) अधिसूचना जारी करना और प्रकाशित करना केवल एक औपचारिकता है ताकि अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक कदम उठा सकें।फिर भी, वे स्वीकार करेंगे कि इसके तहत अधिसूचना जारी किए बिना एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही संभव नहीं होगी।उनका तर्क है कि धारा 4 (1) अधिसूचना में केवल एक औपचारिक निर्णय होता है कि क्या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है या इसकी आवश्यकता होने की संभावना है और यह केवल एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के तहत है कि अंततः सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित भूमि की आवश्यकता के बारे में एक ठोस घोषणा की जाएगी।इसलिए, पार्टी 'बी' के अनुसार, सभी उद्देश्यों के लिए, इसे अकेले एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के बिंदु के रूप में माना जा सकता है और माना जाना चाहिए। उनके विवाद को घर पहुँचाने के लिए, निर्भरता मुख्य रूप से इस पर रखी जाती है

ई.

एफ.

जी.

बाबू बाक्र्या ठाकुर बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य में निर्णय। **(**ए**.** आई**.** आर**. 1960** एस**.** सी**. 1203)** और एम/एस**.** फोमेंटो रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड बनाम गुस्तावो रानाटो दा क्रूज़ पिंटो और अन्य। **[(1985) 2** एससीसी **152**।

एच.

1095

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

ए.

12. प्रतिद्वंद्वी विवादों का संक्षिप्त विवरण स्वयं ही 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के उद्देश्य के लिए एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के बराबर क्या होगा, इस सवाल

पर अपने-अपने रुख का समर्थन करने के लिए विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करने वाले पक्षों की विविध दलीलों को प्रकट करेगा।

13. इंद्रपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड मामले में

बी.

(ऊपर) एक संविधान पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः- "भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के साथ शुरू होती है।

यह सच है कि संविधान पीठ इस सवाल पर विचार नहीं कर रही थी कि क्या वह एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी और प्रकाशित कर रही है या यह घोषणा कि एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, जो एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने या शुरू करने के समान है। वास्तव में, संविधान पीठ राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं के खिलाफ चुनौती पर विचार कर रही थी।लेकिन फिर, 2003 की सिविल अपील No.6392 में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 'लक्ष्मण लाल (मृत) थ्रू' शीर्षक दिया।

सी.

डी.

एल. आर. और ए. एन. आर. V. राजस्थान राज्य ने अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान की धारा 4

भूमि अधिग्रहण अधिनियम एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के समान है और राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के समान है। इसलिए, पीठ के संविधान द्वारा एल. ए. अधिनियम की धारा 4 की स्थिति की घोषणा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के साथ भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होती है, को न तो इस आधार पर नजरअंदाज किया जा सकता है कि यह राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उक्त प्रावधानों पर विचार करते समय ऐसा अभिनिर्धारित किया गया था और न ही इस आधार पर कि यह इस सवाल पर विचार करने पर नहीं किया गया था कि क्या यह एल. ए. अधिनियम की धारा 4 या धारा 6 है जो एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के बिंदु को चिह्नित करती है।

ई.

एफ.

14. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वी. के. एम. कट्टा इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड मामले (उपरोक्त) में निर्णय इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया है।पैराग्राफ 13 से 14 (दोनों सहित) से पता चलता है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 4,5 ए और 6 को निकालने के बाद, पैराग्राफ 14 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दियाः"उपरोक्त प्रावधानों में, अधिनियम की धारा 4 उपयुक्त सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देती है।पीठ

ने अपीलार्थी के तर्क पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन निम्नलिखित के अनुसार नहीं था -

जी.

एच.

1096

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

कानून में दिए गए अधिदेश और उसी का उत्तर देने के लिए एल. ए. अधिनियम की योजना को देखते हुए।

15. अब हम पार्टी 'बी' द्वारा उद्धृत निर्णयों पर गौर करेंगे।

अर्थात्।, बाबू बरक्या ठाकुर के मामले में और मेसर्स फोमेंटो रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड में। बाबू बरक्या ठाकुर के मामले (ऊपर) में, यह न्यायालय

एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किया गया। पैराग्राफ 17 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई थीः- "धारा 4 के तहत अधिसूचना का उद्देश्य आवश्यक सर्वेक्षण और स्तरों को लेने के बाद यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करना है कि क्या भूमि को उस उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया था जिसके लिए इसे अधिग्रहित करने की मांग की गई थी।यह केवल धारा 6 के तहत है कि सरकार द्वारा एक दृढ़ घोषणा की जानी चाहिए कि उचित विवरण और क्षेत्र के साथ भूमि ताकि पहचान योग्य हो, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए आवश्यक है।धारा 4 के तहत जो केवल एक प्रस्ताव था, वह अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए एक निश्चित कार्यवाही का विषय बन जाता है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि धारा 4 के तहत अधिसूचना में कोई भी दोष कार्यवाही की वैधता के लिए घातक है, विशेष रूप से जब अधिग्रहण एक कंपनी के लिए है और अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के बाद धारा 5-ए या धारा 40 के तहत उद्देश्य की जांच की जानी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

16. इसके अलावा, बाबू बरक्या के मामले में पैराग्राफ 7 में यह कहा गया है

इस प्रकारः

“कार्यवाही धारा 4 के तहत एक सरकारी अधिसूचना के साथ शुरू होती है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है।ऐसी अधिसूचना के मुद्दे पर लोक सेवक और कामगारों के लिए भूमि में प्रवेश करने की अनुमति है ताकि वे उसमें निर्दिष्ट कुछ कार्य कर सकें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या भूमि को उस उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया है जिसके लिए इसे अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया गया था और अधिग्रहण की योजना में शामिल की जाने वाली सीमाओं को भी निर्धारित किया जा सके।

एफ.

जी.

बाबू बरक्या ठाकुर के मामले में, संविधान पीठ एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के विशेष संदर्भ के साथ भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की संवैधानिकता को चुनौती देने पर विचार कर रही थी। उसमें अपीलार्थी की दलीलें, जैसा कि पैराग्राफ 6 से देखा जा सकता है, ए की धारा 4 के तहत अधिसूचना थीं।

एच.

1097

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

एल. ए. अधिनियम अवैध था, कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 31 का उल्लंघन थी और यह कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं था और दुर्भावनापूर्ण था।यह उक्त परिस्थितियों में था कि अनुच्छेद 17 में संविधान पीठ ने उपरोक्त निर्णय दिया।

17. फोमेंटो रिसॉर्ट्स के मामले (ऊपर) में बाबू बरखा ठाकुर के मामले से उपरोक्त निकाले गए पाठ को सहमति के साथ उद्धृत किया गया था और फिर, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः- “… हालाँकि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रारंभिक कदम आवश्यक हैं और वे केवल बाबू के निर्णय में उल्लिखित धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्राधिकरण द्वारा ही उठाए जा सकते हैं।

बी.

बरखा ठाकुर बनाम बॉम्बे राज्य अधिग्रहण की शुरुआत

धारा 6 अधिसूचना के बाद सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कार्यवाही।अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिग्रहण के लिए कार्यवाही के लिए संतुष्टि आवश्यक है, लेकिन धारा 6 के विपरीत धारा 4 में नोटिस जारी करने के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह केवल "जब यह दिखाई देता है" तभी कार्य कर सकता है जब भूमि की आवश्यकता होती है या किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना होती है।यह उपरोक्त निर्णयों पर निर्भर है कि पार्टी

'बी' का तर्क है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, धारा 6 घोषणा एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही की शुरुआत है। दूसरे शब्दों में, पार्टी 'बी' का तर्क है कि धारा 6 की घोषणा एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का बिंदु है, जो इस न्यायालय ने उक्त निर्णयों के उपरोक्त निकाले गए भागों में जो टिप्पणी की है, उस पर आधारित है।

सी.

डी.

18. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पैराग्राफ 13 में फोमेंटो रिज़ॉर्ट के मामले (ऊपर) में, यह कहा गया है कि 'अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना की आवश्यकता है।'

ई.

19. दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत सभी निर्णयों की सावधानीपूर्वक जांच से इस प्रकार पता चलेगा कि उन सभी निर्णयों का मानना है कि एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत एक अधिसूचना के प्रकाशन के साथ शुरू होती है।एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा एल. ए. अधिनियम के तहत कदमों में से एक है जो अंततः एक पुरस्कार देकर और अधिग्रहित भूमि पर कब्जा करके कार्यवाही के समापन में समाप्त होती है।जब तक धारा 17 के तहत तात्कालिकता खंड लागू नहीं किया जाता है, तब तक धारा 6 के तहत एक घोषणा जांच किए बिना नहीं की जा सकती है।एल. ए. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन आगे के कदम उठाने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है।इसलिए, इस तरह की अधिसूचना एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही का प्रारंभिक बिंदु है। कार्यवाहियों की शुरुआत एल. ए. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से होती है।

एफ.

जी.

एच.

20. उपरोक्त स्थिति और एक अन्य संविधान पीठ के फैसले में की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए।, अपतटीय होल्डिंग्स में

प्राइवेट लिमिटेड बनाम बैंगलोर विकास प्राधिकरण [(2011) 3

एस. सी. सी. 139 में कहा गया है कि 'एक क़ानून का अर्थ संदर्भ और उसके प्रावधानों के संदर्भ में एक सुसंगत अधिनियम यानी पूर्व विसेरिबस एक्टस बनाने के लिए किया जाना चाहिए'।हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत एल. ए. अधिनियम के संदर्भ में 'आरंभ' अभिव्यक्ति का उपयोग करने का वास्तव में क्या उद्देश्य है।

बी.

21.हमारा विचार है कि एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के संदर्भ में 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'आरंभ' का अर्थ लगाते हुए,

सी.

अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य में निर्णय [(1987) 1

एस. सी. सी. 212 को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।अम्बिका क्वारी वर्क्स के मामले में 'नवीनीकरण किया जा सकता है' शब्दों का अर्थ लगाते हुए इस न्यायालय ने कहा कि सभी व्याख्याओं को संबंधित अधिनियम के इरादे के कार्यान्वयन में सहायता करनी चाहिए।

डी.

22. 2013 के अधिनियम को लाने के पीछे विधायी इरादा समय पर और पारदर्शी तरीके से औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे और शहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत अधिनियम बनाना था और साथ ही, प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास तंत्र के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए न्यायसंगत और उचित मुआवजे का प्रावधान करना था।प्रस्तावना के रूप में 2013 के अधिनियम में इसके उद्देश्य और कारण इस प्रकार दिए गए हैं:“संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के संस्थानों के परामर्श से, भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम, भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम परेशानी के साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास और शहरीकरण और प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत और उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है या अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है या इस तरह के अधिग्रहण से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य अधिग्रहण का संचयी परिणाम यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बनें जिससे उनकी अधिग्रहण के बाद की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।”

ई.

एफ.

जी.

एच.

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

ए.

23. उपरोक्त विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) में प्रयुक्त धारा 24 और 'आरंभ' शब्द का भी अर्थ निकालना होगा। 'आरंभ' शब्द का अर्थ उचित और न्यायपूर्ण मुआवजा प्रदान करने और औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे और शहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों को लागू करने के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।हम पहले ही भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की 'शुरुआत' के प्रभाव और एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार में इसकी परिणति और इस तरह के पुरस्कार में गैर-दोषसिद्धि का उल्लेख कर चुके हैं।

बी.

24. 'आरंभ' शब्द के उचित और उद्देश्यपूर्ण निर्माण के लिए, प्रासंगिक स्थिति में 2013 के अधिनियम की धारा 24 के विधायी इतिहास पर भी गौर करना अनुचित नहीं होगा, जैसा कि एच. एस. आई. आई. डी. सी./राज्य/समिति दिनांक 11.04.2022 की ओर से दायर लिखित प्रस्तुति में समझाया गया है।हालाँकि, हम इसे विस्तार से संदर्भित करना या उससे निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं।संक्षेप में, इसमें यह कहा गया है कि धारा 24 के प्रारूपण से पहले हुई घटनाएं, जैसा कि आज क़ानून की पुस्तक में मौजूद है, विधायिका द्वारा 2013 के अधिनियम में धारा 24 को तैयार करने में विधायी इरादे को स्पष्ट करने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक है।इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि विधायिका इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत थी कि एल. ए. अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि का उपयोग पहले से ही कई सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था और विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए और एल. ए. अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में अधिग्रहण की कार्यवाही, विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बड़ी संख्या में सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित, विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं।इसलिए, हर चीज की चूक सार्वजनिक हित के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगी और साथ ही, भूमि धारकों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा।ऐसे सभी प्रासंगिक पहलुओं और पक्ष और विपक्ष पर विचार करने से विधायिका को 2013 के अधिनियम में धारा 24 (1) (ए) और उसके खंडों के तहत एक संतुलन प्रावधान के साथ आना पड़ा। इसे पूर्वव्यापीता की सीमा को नियंत्रित करने और भूमि धारकों के अधिकारों के क्षरण को कम करने के लिए एक संतुलन प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था।25. हालांकि, विरोध में, पार्टी 'बी' की ओर से पेश होने वाले सभी विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि इस प्रश्न पर पूरी तरह से अलग कोण पर विचार करने की आवश्यकता है।यह तर्क दिया जाता है कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 और उसकी उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत उपयोग किए गए 'आरंभ' शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप और उसके अनुरूप पढ़ा और समझा जाना चाहिए।यह भी तर्क दिया जाता है कि एल. ए. अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन होगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1100

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

26. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 300-ए के उल्लंघन के आधार पर पार्टी 'बी' द्वारा उठाए गए तर्कों को केवल खारिज किया जाना है।संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया था।यह सच है कि यह एक मानवाधिकार के साथ-साथ संवैधानिक अधिकार भी है।इसलिए, कानून द्वारा अधिकृत प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करके अनिवार्य अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन नहीं करेगा।अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अलावा जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।इस संदर्भ में राज्य में निर्णय

बी.

एम. पी. बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन [(2011) 7 एस. सी. सी. 639]

प्रासंगिकता।पैराग्राफ 28 में इस प्रकार लिखा हैः- “28. हालांकि, भूमि अधिग्रहण के मामले में, "अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार से वंचित करने की याचिका अस्थिर है"।(वीडियो

सी.

चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सामंथा बनाम स्टेट ऑफ

एपी)।इस न्यायालय ने लगातार माना है कि अनुच्छेद 300-ए न केवल एक संवैधानिक अधिकार है बल्कि एक मानव अधिकार भी है।(वीडियो लैचमैन

दास बनाम जगत राम और अमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य)।हालांकि, जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात के एसटीई में

डी.

इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

30. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का अधिकार संविधान की मूल विशेषता या संरचना नहीं है।यह केवल एक संवैधानिक अधिकार है।

ई.

58. … अनुच्छेद 21 को आकर्षित करने वाली प्रक्रिया की अनुचितता का सिद्धांत अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिग्रहण या वंचित करने पर लागू नहीं होता है जो निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाता है।"

27. यहाँ पहले उल्लिखित दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उन्हें केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब 'आरंभ' शब्द को उस समय के रूप में लिया जाए जब एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 4 (1) अधिसूचना जारी की जाती है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।इस तरह के निर्माण में प्रभावित व्यक्तियों की अधिक संख्या शामिल होगी जो मुआवजे के निर्धारण के मामले में 2013 के अधिनियम को लागू करके मुआवजे की अधिक राशि के हकदार हैं।एक आवश्यक अगली कड़ी के रूप में विभिन्न चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए एल. ए. अधिनियम के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई है, जिसके संबंध में भूमि का अधिक विस्तार समाप्त होने से संरक्षित रहेगा।इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी अपीलों में सभी पक्ष एक साथ इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि मुआवजे का निर्धारण ए

एफ.

जी.

एच.

1101

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

2013 के अधिनियम के आधार पर अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होगा और वे मुआवजे के हकदार होंगे।'आरंभ' या 'आरंभ' शब्दों को एल. ए. अधिनियम और 2013 अधिनियम के तहत भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, इसका अर्थ बताने के लिए शब्दकोष के अर्थ पर गौर करना होगा।

वेबस्टर के तीसरे नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में।वह शब्द।

बी.

“अन्य बातों के साथ-साथ आरंभ को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः- “शुरू करना या शुरू करना; शुरुआत करना; पहले कार्यों, चरणों या चरणों को करना या सुविधाजनक बनाना;

शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में "इनिशिएट" शब्द है।

सी.

इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः“शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए, दर्ज करने के लिए, शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए, शुरू करने के लिए।”

उपरोक्त चर्चा के आलोक में और विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के उद्देश्य से एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने का मुद्दा उपयुक्त सरकार के आधिकारिक राजपत्र में धारा 4 (1) अधिसूचना जारी करना और प्रकाशित करना है।28. हम सोचते हैं कि उपरोक्त रूप में हमारे निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए आगे के कारणों का पूरक होना ही उचित है।एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के अवलोकन से पता चलता है कि धारा 4 (1) के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना तब जारी की जाती है जब उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है।निर्णय की उक्त औपचारिक अभिव्यक्ति ठोस रूप लेती है और केवल आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन पर ही बनती है।धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने और प्रकाशित करने पर ही कोई अधिकारी, या तो आम तौर पर या विशेष रूप से उपयुक्त सरकार और उसके कर्मचारियों और कामगारों द्वारा अधिकृत, कानूनी रूप से प्रवेश कर सकता है और सर्वेक्षण कर सकता है और उस इलाके में किसी भी भूमि का स्तर ले सकता है।इन परिस्थितियों में, केवल समग्र रूप से धारा 4 का उल्लेख करना योग्य है।वे इस प्रकार पढ़ते हैंः-

डी.

ई.

एफ.

जी.

“ एस. 4.प्रारंभिक अधिसूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन।–

जब भी [उपयुक्त सरकार] को यह प्रतीत होता है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य [या किसी कंपनी के लिए] की आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की अधिसूचना निम्नलिखित होगीः

एच.

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित [और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा], और कलेक्टर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर देगा [(ऐसे प्रकाशन की तारीखों में से अंतिम और ऐसी सार्वजनिक सूचना देना, जिसे इसके बाद अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जा रहा है)]।

बी.

इसके बाद किसी भी अधिकारी के लिए, जो या तो आम तौर पर या विशेष रूप से ऐसी सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत है, और उसके सेवकों और कामगारों के लिए यह वैध होगा कि वह ऐसे इलाके में किसी भी भूमि का प्रवेश करे और सर्वेक्षण करे और उसके स्तर को ले; उप-मिट्टी में खुदाई करे या खोदे; यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करे कि क्या भूमि को ऐसे उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया है; प्रस्तावित भूमि की सीमाओं और उस पर बनाए जाने वाले काम की इच्छित रेखा (यदि कोई हो) को निर्धारित करने के लिए; ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखा को निशान और खाई काटकर चिह्नित करने के लिए; और, जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और लिए गए स्तर और सीमा और रेखा, किसी भी खड़ी फसल, बाड़ के किसी भी हिस्से को काटने और साफ करने के लिए।

सी.

डी.

29. धारा 4 (2) से पता चलता है कि संबंधित इलाके में किसी भी भूमि के स्तर पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और लेने के अलावा, अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को उप-मिट्टी में खुदाई करने या खोदने का भी अधिकार है, यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने के लिए कि क्या भूमि सभी उद्देश्यों के लिए अनुकूलित है; लेने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमाओं और उस पर बनाने के लिए प्रस्तावित कार्य की इच्छित रेखा (यदि कोई हो) को निर्धारित करने के लिए; ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखा को चिह्नित करने के लिए निशान लगाकर और खाइयों को काटकर और इसकी उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित ऐसी अन्य गतिविधियों को चिह्नित करने के लिए।ऐसी परिस्थितियों में, तथ्य यह है कि यह धारा 4 (1) अधिसूचना जारी करना और प्रकाशित करना है जो अधिकृत अधिकारी और श्रमिकों को इस तरह के अनुमेय कार्यों और गतिविधियों में प्रवेश करने और करने के लिए सशक्त बनाएगा।इस तथ्य का उल्लेख बाबू में किया गया था।

ई.

एफ.

बरखा ठाकुर का भी मामला।30. शिव कुमार और अन्र के फैसले में। बनाम भारत संघ

जी.

और ओआरएस। [(2019)] 10 एस. सी. सी. 229] इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि का एक खरीदार जिसके संबंध में एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी और प्रकाशित की गई थी (एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 4 अधिसूचना जारी होने के बाद) ने संबंधित भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था और ऐसी बिक्री शुरू से ही शून्य है और ऐसे व्यक्ति के पास ए.

एच.

1103

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल [सी. टी. रविकुमार, जे.] ए.

कानून की नीति के तहत उस भूमि पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।एल. ए. अधिनियम की धारा 23 मुआवजे के निर्धारण में विचार किए जाने वाले मामलों से संबंधित है।उक्त प्रावधान के अनुसार, धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को बाजार मूल्य लेते हुए विचाराधीन भूमि का बाजार मूल्य तय किया जाना था।तय स्थिति को देखते हुए, एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 4 (1) अधिसूचना में एक महत्वपूर्ण दोष को एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा जारी और प्रकाशित करके ठीक नहीं किया जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में, यह अधिसूचनाओं और अधिग्रहण कार्यवाही दोनों को रद्द कर देगा।उपरोक्त सभी पहलुओं से पता चलता है कि एक वैध धारा 4 (1) अधिसूचना जारी करना और उसका प्रकाशन, एल. ए. अधिनियम के तहत किसी भी इलाके में भूमि अधिग्रहण की नींव थी। उपरोक्त सभी कारण हमारे निष्कर्ष को मजबूत करेंगे और इस तर्क की अस्वीकृति को उचित ठहराएंगे कि धारा 4 (1) अधिसूचना कुछ और नहीं बल्कि केवल एक औपचारिकता है और एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में इसकी कोई वास्तविक प्रासंगिकता या महत्व नहीं है।

बी.

सी.

31. अब, हम शीर्षक वाली अपीलों में शामिल अन्य सामान्य प्रश्नों पर विचार करेंगे।वे इस सवाल से संबंधित हैं कि क्या एल. ए. अधिनियम के तहत जारी की गई धारा 4 अधिसूचना 01.01.2014 (2013 अधिनियम के प्रारंभ की तारीख) से पहले जारी की गई थी या 01.01.2014 के बाद भी जारी रह सकती है और क्या एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 6 अधिसूचना 01.01.2014 के बाद जारी की जा सकती है।

डी.

32. हम सोचते हैं कि उन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों और विधायी इतिहास को ध्यान में रखना होगा और उसी तरीके से मसौदा तैयार करने में विधायिका की मंशा को भी ध्यान में रखना होगा जिस तरह से यह अब मौजूद है।हम उन पहलुओं पर पहले ही विचार कर चुके हैं।इस संदर्भ में धारा 24 (1) (ए) से स्पष्ट एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।धारा 24 (1) और उसके खंड (ए) का संयुक्त प्रभाव यह है कि यदि एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले शुरू की गई थी, और यदि यह एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के तहत एक पुरस्कार में समाप्त नहीं हुई थी, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित 2013 अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसी अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू होने चाहिए।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में किसी अधिनिर्णय को पारित न करने के मामले में जहां अधिग्रहण की कार्यवाही 01.01.2014 से पहले शुरू की गई है, अकेले मुआवजे के निर्धारण से संबंधित 2013 अधिनियम के तहत सभी प्रावधान ऐसी अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू होंगे।दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि ऐसी परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखी जानी चाहिए, लेकिन सभी

ई.

एफ.

जी.

एच.

अकेले 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे, जिसका अर्थ है कि 2013 का अधिनियम उस स्तर पर ही लागू होगा।इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत नोटिस जारी करके और उसके प्रकाशन द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने और जिस स्तर पर अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है, उसके बीच कानून के अनुसार अधिग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।सवाल यह है कि जब 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) आवश्यक निहितार्थ के साथ यह स्पष्ट करती है कि अकेले मुआवजे के निर्धारण से संबंधित 2013 के अधिनियम के सभी प्रावधान एल. ए. अधिनियम के तहत शुरू की गई ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे, लेकिन एक पुरस्कार में समाप्त नहीं होंगे, तो कार्यवाही के मुआवजे के निर्धारण के चरण तक पहुंचने तक मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्रक्रियाओं को कैसे विनियमित किया जाना है।उस पहलू पर कोई अनिश्चितता नहीं हो सकती।शुरू की जाने वाली प्रक्रियाएँ और उन्हें किस तरीके से विनियमित किया जाना है, यह अनिश्चित नहीं रह सकता

है।वे या तो एल. ए. अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से या 2013 अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से संचालित किए जाते हैं। लेकिन फिर, धारा 24 (1) (ए) को देखते हुए, अकेले मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान ऐसी कार्यवाही पर लागू किए जा सकते हैं या दूसरे शब्दों में, ऐसी कार्यवाही के संबंध में 2013 अधिनियम के प्रावधानों का केवल एक सीमित अनुप्रयोग है।अपरिहार्य निष्कर्ष केवल यह हो सकता है कि मुआवजे के निर्धारण के चरण तक की अवधि के दौरान शुरू की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं पर जो लागू होता है, वह एल. ए. अधिनियम के तहत निर्धारित है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के निर्माण के बिना, 2013 के अधिनियम के प्रतिबंधात्मक अनुप्रयोग को देखते हुए, धारा 24 (1) (ए) के तहत प्रावधान काम नहीं करेंगे। यह इस संदर्भ में है कि अंबिका क्वारी वर्क्स के मामले (उपरोक्त) में निर्णय प्रासंगिक है।यहाँ पहले निर्दिष्ट विधायी इरादे को लिए बिना उक्त प्रावधान का कोई भी निर्माण विधायी इरादे के साथ-साथ 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों को भी विफल कर देगा। निश्चित रूप से, यह जनहित में नहीं होगा कि इस तरह की कार्यवाही को समाप्त होने दिया जाए या अधिकारियों को अपनी इच्छा के अनुसार ऐसी अवधि के दौरान प्रक्रियाओं का पालन करने की अनुमति दी जाए।ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए शुरू किए गए अधिग्रहण 2013 के अधिनियम के इरादे और उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए और साथ ही, प्रभावित व्यक्तियों को इस बारे में निश्चित जानकारी होनी चाहिए कि प्रक्रियाएं कैसे संचालित की जाएंगी।पार्टी 'बी' आवश्यकता ए की ऐसी स्थितियों का वर्णन करने में उचित नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1105

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास। कॉर्प. लिमिटेड. वी.श्री दीपाक अग्रवाल [सी. टी. रविकुमार, जे.]

और उन प्रावधानों का परिणामी अनुप्रयोग जो वास्तव में धारा 24 के निर्माण के कारण धारा 24 (1) (बी) में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त और धारा 24 (1) (ए) में अनुपस्थित शब्दों को 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) में अप्रत्यक्ष तरीके से लाने के प्रयास के रूप में सहेजे गए हैं। उपरोक्त निष्कर्ष और

निष्कर्ष पार्टी 'बी' के तर्कों को बनाएँगे कि 01.01.2014 से पहले जारी की गई धारा 4 (1) अधिसूचना 01.01.2014 के बाद जीवित नहीं रह सकती है और यह भी कि एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 6 अधिसूचना 01.01.2014 के बाद जारी नहीं की जा सकती है, जो अस्थिर है।वास्तव में, ऐसी सभी प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए सभी प्रावधानों को लागू करके मुआवजे के निर्धारण तक जारी रखी जाएंगी। इसके जारी रहने के दौरान ऐसी कार्यवाहियों के प्रावधानों के प्रतिबंधात्मक अनुप्रयोग को देखते हुए एक विरोध-निर्माण, 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (ए) के तहत प्रावधानों को अव्यवहारिक बना देगा।

बी.

सी.

33. उपरोक्त सामान्य प्रश्नों का निर्णय लेने के बाद हमारा विचार है कि व्यक्तिगत अपीलों में शामिल अन्य सभी मुद्दों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और सभी बताए गए सामान्य प्रश्नों के संबंध में इस निर्णय के अधीन होना चाहिए।

डी.

34. निष्कर्ष निकालने के लिए, हम मानते हैं कि 2013 अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एल. ए. अधिनियम के तहत कार्यवाही को एल. ए. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत एक अधिसूचना के प्रकाशन पर शुरू किया गया माना जाएगा। हम आगे यह मानते हैं कि जब 2013 अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) का खंड (ए) लागू होता है, तो कार्यवाही एल. ए. अधिनियम के अनुसार जारी रहेगी। हालांकि, केवल मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए, 2013 अधिनियम के प्रावधान लागू किए जाएंगे।

ई.

35. हम पहले ही देख चुके हैं कि शीर्षक वाली अपीलों में आम प्रश्नों और मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दे भी शामिल हैं जिनका हमने इस फैसले में जवाब दिया है।अतः इन अपीलों में अन्य कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उनके गुण-दोष पर निपटारे के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

एफ.

जी.

दिव्या पांडे

योग्यता के आधार पर निपटारे के लिए सूचीबद्ध की जाने वाली अपीलें।

(सहायकः बोधि रामटेके, एलसीआरए)

एच.